

पत्र संख्या : : 7ब/4701 योज०सं०-07/2018 229

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना/मुख्य अभियंता, राँची/चाण्डिल कम्पलेक्स ;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 26/3/19

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-19/17-18, दि०-27.06.17, 05/17-18, दि०-24.04.2017, 38/17-18, दि०-15.09.17, 04/16-17, दि०-12.04.16, 96/16-17, दि०-29.03.17, 03/16-17, दि०-12.04.16, 89/16-17, दि०-16.03.17, 95/16-17 दि० 29.03.17 एवं 80/18-19, दि०-18.03.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	अवशेष बजट उपबंध से आवंटित राशि	प्राप्त प्रत्यार्पण से आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/80-सामान्य	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S470180796540545	96.74	410.76	507.50

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र।


- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रु. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- उक्त आवंटित राशि परिशिष्ट-2, में वर्णित प्रत्यार्पण स्वीकृत करते हुये निर्गत किया जा रहा है।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(अरुण कुमार सिंह) 26.3.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 229

राँची, दिनांक :- 26/3/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/गुमला/चाईबासा/घाटशिला/जमशेदपुर/बुण्डु सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(अरुण कुमार सिंह) 26.3.19  
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 229


राँची, दिनांक :- 26/3/19


प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

  
(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

  
(अरुण कुमार सिंह) 26.3.19  
अपर मुख्य सचिव



विभागीय पत्रांक 229

दिनांक 26/3/19

का अनुलानक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई. आर. एम.

विरस्त शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रू. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	जलपथ प्रमंडल, सं०-2, बैनपुर, गुमला (GMLLR008)	सौची	विशुनपुर वीयर योजना का दाँधी एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य	19/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-27.06.2017 Online A.A-876/03.07.2017	1936.000	0.000	400.00	330.00	730.00	105384	
2	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLLR001)	सौची	कलसी जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य हेतु	03/16-17 प्र.स्वी. दिनांक -12.04.2016 Online AA-129/12.04.2016	9177.350	6660.560	2200.00	150.00	2350.00	105391	
3	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIR011)	सौची	रैसा वीयर योजना का ई.आर.एम. कार्य।	80/18-19 प्र.स्वी. दिनांक-18.03.2019 Online AA-2439/18.03.2019	670.340	342.84	300.00	27.50	327.50	105395	
कुल योग					2900.00	507.50	3407.50				
आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र।											

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ सात लाख पचास हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1(अरूण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

26-3-19

विभागीय पत्रांक.....

दिनांक ..... 28/3/19

का अनुदानक

परिशिष्ट -2

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,  
लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोगिता,  
उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई. आर. एम.  
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 20000.00 लाख (दो सौ करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन				Online Allotment Access No.	अनुवृत्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	प्रस्तावित राशि	संशोधित आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	जलपथ प्रमंडल, सं०-2, चैनपुर, गुमला (GMLRR008)	सैची	मसरिया जलाशय योजना का डैम की मरम्ति, दौची एवं बाँधी मुख्य नहर का लार्डनिंग, क्षतिग्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए	05 / 17-18 प्र.स्वी., दिनांक-24.04.2017 Online A-A-420/29.04.2017	1618.597	25.30	1000.00	145.56	854.44	84029		
योग						25.30	1000.00	145.56	854.44			
2	जलपथ प्रमंडल, चार्डबासा (SGHARR008)	सैची	तोरलो जलाशय योजना का पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य	38/17-18 प्र.स्वी., दिनांक-15.09.2017 Online A-A-131/11/15.09.2017	5297.000	0.000	1150.00	139.65	1010.35	74787		
		सैची	सेरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य हेतु	04/16-17 प्र.स्वी., दिनांक -12.04.2016 Online A-A-2265/26.02.2018	6670.430	2087.310	3000.00	38.21	2961.79	84026		
		सैची	सोना सिंचाई (वीयर) योजनातर्गत खरसोबा शाखा नहर के कि०मी० 7.92 से 18.00 तक लाईनिंग कार्य	98 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक-29.03.2017 Online A-A-2852/31.03.17	1259.637	0.00	900.00	7.00	893.00	88711		
योग						2087.31	5050.00	184.86	4865.14			
3	लघु वितरणी प्र० सं०-10, घाटशिला (JSRRR022)	चाण्डिल	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत राजबौध सिंचाई योजना के नहर के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	89 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक-16.03.2017	3577.720	124.11	177.45	5.69	171.76	30233		
		चाण्डिल	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत देशबौध सिंचाई योजना के नहरों के जीर्णोद्धार तथा लाईनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	95 / 16-17 प्र.स्वी., दिनांक-29.03.2017	673.680	157.75	300.00	74.65	225.35	30235		
		योग				281.86	477.45	80.34	397.11			
कुल योग						6527.45	410.76	6116.69				
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल प्रत्यापित राशि - ₹ चार करोड़ दस लाख छियहत्तर हजार मात्र।												

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कुल प्रत्यापित राशि - ₹ चार करोड़ दस लाख छियाहत्तर हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)  
संयुक्त सचिव

(हेमन्त कुमार)  
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

26.3.19